न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां कैम्प
बिजौलियां कैम्प बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः 17/2017 दायर तारीख 19.06.2017

जीती देवी पत्नि मदनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मदनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. पुरुषोतम पिता मदनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
धनश्याम धाकड अधिवक्ता वादी
छीतरलाल धाकड अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 28.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां कला प0ह0 बिजौलियां कला तह0 बिजौलियां की शरहद में खाता सं0 181 में अंकित आ0नं0 1571/237 रकबा 0—08 बीघा भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा वादीया वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है एंव लगानराज्य सरकार में जमा करवाती आ रही है। प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से हक व हिस्सा एंव स्वामित्व निहित नही है एंव न ही वादीया द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादीगण को रहन विक्रय की है और न ही वादीया ने अपनी सहमती से प्रतिवादीगण को कब्जा सिपुर्द किया है। उक्त भूमि वादीया के एकल स्वामित्व की है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार स्वामित्व निहित न होते हुये भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीया की खातेदारी भूमि को हडपने व जबरन अतिक्रमण करने की नियत से आये दिन वादीया की भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है एंव वादीया की खातेदारी भूमि को अपनी खातेदारी भूमि बताकर उस पर जबरन कब्जा स्थापित करना चाहते है। सीमाओं के विवाद को हल करने बाबत वादीया द्वारा दिनांक 06.06.2014 को भूमि की पत्थरगढी करवाई गई तो प्रतिवादीगण का वादीया की खाते की सम्पूर्ण आराजीयात 0—08 बीघा भूमि पर संयुक्त रुप से नाजायज कब्जा पाया गया। वादीया ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने बाबत कहा तो तैयार नही हुये और कब्जा भी नही सौपा इस कारण वादीया को प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही होते हुये भी प्रतिवादीगण ने पतथरगढी करवाने के पश्चात जबरन वादीया की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया एंव प0ह0 द्वारा पत्थरगढी के मुस्तकील मुकाम को उखाड फेक दिया प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य की वजह से वादीया को अपने खातेदारी अधिकारों से एंव भूमि के उपयोग उपभोग से महरुम होना पड रहा है। वादीया प्रतिवादीगण से वापिस कब्जा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। वादीया को वाद हेतुक पतथरगढी कराये जाने की दिनांक 06.06.2014 से उत्पन्न हुआ जब पत्थरगढी के बाद प्रतिवादीगण द्वारा मुस्तकील मुकाम हटाकर जबरन कब्जा कर लिया एंव वादीया द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

वादीया विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि मौजा बिजौलियां कला की शरहद में स्थित आ0नं0 1571/237 रकबा 0–08 बीघा भूमि प्रतिवादीगण से बेदखल किया जावे एंव वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादीया को पुनः सिपुर्द किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादीया को सिपुर्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः कब्जा नही करें, वादीया को बेदखल नही करे। कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण से वादीया को दिलाया जावे। अतः वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री छीतरलाल धाकड ने अधिकार पत्र जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जवाब में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कोई उपयोग उपभोग नही है एंव न ही वादीया द्वारा उक्त भूमि पर कभी काश्त की गई है। बल्कि वादीया कभी भी उक्त भूमि पर आज दिनांक तक आई गई नही है। उक्त भूमि पर करीब 18–20 साल से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 18–20 वर्ष पहले जब प्रतिवादीगण द्वारा भूमि क्रय की तभी से कब्जा है एंव उक्त भूमि के कोट हों रखी है वादीया द्वारा जब भूमि क्रय की गई तब मौके पर आकर भूमि का कब्जा न ही लिया एंव न ही कभी काश्त की है। वादीया द्वारा बिना भूमि का भौतिक सत्यापन करवाये खरीद की है। खरीदने के पश्चात कभी भी वादीया भूमि पर नही आई एंव न ही उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर आया है। दिनांक 06.06.2014 को वादीया पत्थरगढी करवाने की बात कहती है और उसमें मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार वादीया का थोडे से भी हिस्सा पर कब्जा नही बताया गया है। पत्थरगढी के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई नोटिस नही दिया गया। वादीया द्वारा अभिलिखित किया है कि प्रतिवादीगण ने पतथरगढी करवाने के पश्चात जबरन वादीया की भूमि पर कब्जा कर लिया। पुर्ण रुप से विरोधाभाषी है क्योकी वादीया एक तरफ अंकित करती है कि दिनांक 06.06.2014 को पत्थरगढी करवायी जिसमें प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण रकबा पर कब्जा पाया गया है एंव उक्त कॉलम में पत्थरगढी करवाने के पश्चात कब्जा करना बता रही है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई मुटाम पत्थरगढी का नही फेंका है। वादीया का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है न ही प्रतिवादीगण द्वारा कोई पत्थरगढी का मुटाम उखाडा नही है वादीया की प्रतिवादीगण से उक्त भूमि के संबंध में कभी भी बात चीत नही हुई। वादीया कोई डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी नही है एंव वादीया न ही कोई मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी है। काउन्टर क्लेम में लिखवाया कि वादग्रस्त आ0सं0 1571/237 रकबा 0–08 बीघा पर करीब 18–20 वर्ष से प्रतिवादीगण एंव उनके पुर्वजो का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है एंव आज दिनांक तक भी प्रतिवादीगण का कब्जा है इस कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार पाने की पात्रता रखते है। अतः वादीया का वादपत्र खारिज फरमाकर प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाकर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार दिलाये जाने की डिक्री बहक प्रतिवादीगण विरुद्व वादीया सादिर फरमाया जावे। प्रतिवादीगण का जवाब दावा एंव काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादीगण को प्रदान करने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

वादी की और से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब में अंकित किया कि वादग्रस्त आ0सं0 1571/237 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजो का एंव प्रतिवादीगण का कब्जा 18–20 वर्षो से होना अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पर खातेंदार का ही कब्जा काश्त रहा है। खातेदार

नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण अतिक्रमण की श्रेणी में होकर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जे के आधार पर किसी भी प्रकार की प्रतिवादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण मात्र अतिचारी होकर बेदखल किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 नक्शा ट्रेस , मौका पर्चा, पत्थरगढी की प्रति प्रस्तुत की है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि ग्राम बिजौलियां कला स्थित आ0नं0 1571/237 रकबा 0–08 बीघा भूमि वादीया के नाम पर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। .....जिम्मेवादीया
2. आया कि वादग्रस्त आराजीयात की दिनांक 06.06.2014 को पत्थरगढी की गई जिसमें वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया। ..जिम्मे वादीया
3. आया कि वादग्रस्त आराजीयात पर 15 वर्षो से प्रतिवादीगण कब्जा है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

साक्ष्य वादी में जीती देवी पत्नि मदनलाल धाकड निवासी सदारामजी का खेडा के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि जमीन ग्राम बिजौलियां में 8 बिस्वा है जमीन मेरे अकेले के खाते में ही है जमीन के नं0 मुझे याद नही है मै पढी लिखी नही हुॅ। मेने 2010 में जमीन हेला जाति के व्यक्ति से खरीदी। मेने जमीन खरीदने के बाद उडद मुंग काश्त की। मेने 2–4 साल तक काश्त की। जमीन मेरे निवास स्थान से दूर पडने के कारण काश्त नही की। मेरी जमीन पर मदनलाल माली के लडके ने कब्जा कर रखा है नाम याद नही है मेरी जमीन के पास में मदनलाल माली के लडको की जमीन पास में आने से कब्जा कर लिया। मेने मेरी जमीन की सीमाज्ञान पत्थरगढी कराई तो कब्जा उनका पाया गया। कब्जा छोडने के लिये कहा तो इंकार हो गये। हमारे को जमीन पर जाने नही देते है। में वापस जमीन लेना चाहती हुॅ। जिरह में लिखवाया कि जमीन के चारो दिशाओं के पडोसी मुझे याद नही है। जमीन लेने के बाद से अब तक हम 7–8 साल पहले तक नही गये। पत्थरगढी कराई तब में स्वयं मौके पर गई। मेने हस्ताक्षर पर्चे पर किये। हस्ताक्षर पहचानती हुॅ। पर्चा मौका ईएक्स पी–3 को देखकर बताया कि मेरे हस्ताक्षर नही है पत्थरगढी 10 साल पहले कराई तत्पश्चात कहा कि मेने जमीन खरीदी उसको 10 साल हो गये है। मेने जमीन के चारो तरफ कोट नही कराई पहले से ही कोट हो रही थी। जमीन पर जाने का रास्ता था फिर प्रतिवादी द्वारा कोट चूनने से रास्ता नही होने से नही गई। हमने जमीन खरीदने के 4 साल तक काश्त की बाद में प्रतिवादीगण ने कोट करके रास्ता बंद कर दिया जिससे काश्त नही कर सके। प्रतिवादी ने पूर्व की दिशा में कोट लगाकर रास्ता बंद कर दिया। मेरी 8 बिस्वा जमीन है यह कहना गलत है कि में मौके पर नही गई। जमीन मेने नही देखी।

साक्ष्य वादी में अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत वादी बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्ल्यू 1 कन्हैयालाल पिता मदनलाल माली निवासी बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मैं खेती करता हुॅ जमीन ग्राम बिजौलियां में 7 बीघा 14 बिस्वा है वादग्रस्त आराजीयात पर में व मेरा भाई शामलाती में खेती कर रहे है। हम 20 सालो से खेती करते आ रहे है। मेरे से पहले मेरे पिता मदनलालजी माली इस जमीन पर खेती करते आ रहे है। जीती की जमीन व हमारी जमीन के चारो तरफ कोट हो रही है जीती देवी व उसके पति मदनलाल को खेती करते नही देखा है वादीया व उसके परिवारजन कभी वादग्रस्त भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जीती की जमीन मोल खरीदी हुई है। जमीन खरीदने के बाद से अब तक नही आई। जिरह में लिखवाया कि वादग्रस्त जमीन मेरे पिता ने मोल खरीदी मेरे पिता ने 7 बीघा 14 बिस्वा जमीन मोल खरीदी। मुझे जमीन के नं0 याद नही है मेरे पिता ने मोल खरीदी उस समय जमीन के चारो तरफ कोट हो रही है पहले मेरे पिता जमीन बोते थे। में 10712 सालो से जमीन बो रहा हुँ। पर मुझे ध्यान नही है कि वादग्रस्त आ0 नं0 1571/237 रकबा 0–08 बीघा जीती बाई के खाते मे ही है मुझे पता नही है। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि हमारे तरफ मे आ रही है। जमीन के चारो और पत्थरो की कोट लगा रखी है। वादग्रस्त जमीन उसके अन्दर है यह कहना गलत है कि जीती देवी का रास्ता बंद कर दिया है। यह कहना गलत है कि रास्ता बंद कर रखा हौ। इसलिये खेती करने नही आ रही है।

साक्ष्य प्रतिवादी में अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु विचारार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर मनन किया ।

वादी ग्राम बिजौलियां की जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार वादीगण वाद में प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि उनका वादीगण की 0–08 बीघा भूमि पर कब्जा है। प्रतिवादीगण ने जवाब में यह कथन किया कि उक्त भूमि उनकी जमीन है परन्तु इस तथाकथित खरीद के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। अतः यह सिद्व नही होता है कि 0–08 बीघा भूमि प्रतिवादीगण की जमीन है। अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के स्वामित्व की भूमि में से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बिजौलियां प0ह0 बिजौलियां में स्थित आ0नं0 1571/237 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर, कब्जा हटवाया जाकर भूमि वादी को सिपूर्द कि जावे। वादीया द्वारा वादपत्र 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है प्रतिवादी ने भी 183 रा0टी0एक्ट में जवाब प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार की मांग की है जब वादपत्र ही 183 में है तो खातेदारी अधिकार प्रदत नही हो सकते है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम बिजौलियां कला केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

28/06/18

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प बिजौलियां कला)